(2024) 10 एस.सी.आर. 45: 2024 आईएनएससी 732

एस. विजी कुमारी

बनाम

माउनेश्वरचारी सी

(दाण्डिक अपील सं0 3989 वर्ष 2024)

10 सितम्बर 2024

(बी. वी. नागरत्ना रचयिता तथा नांगमेकपम कोटिश्वर सिंह न्यायमूर्तिगण)

विचारणीय मुद्दा

प्रत्यर्थी ने सम्पूर्ण भरणपोषण धनराशि वापस करने की मांग किया है जिसे अपीलार्थिनी (प्रत्यर्थी की पत्नी) को संदत्त किया गया था।

शीर्ष टिप्पणियाँ

घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005-धारा 25-प्रत्यर्थी ने अधिनियम की धारा 25 के अधीन आवेदन दाखिल किया था तथा आदेश दिनंाक 23-02-2015 को अपास्त करने की मांग किया था जिससे द्वारा अपीलार्थिनी-पत्नी को भरण-पोषण के रूप में रु0 12000 प्रतिमाह तथा प्रतिकर हेतु रु0 1,00,000/- मंजूर किया गया था- प्रत्यर्थी ने कपट के आधार पर संदत्त भरणपोषण धनराशि को वापस करने की भी मांग किया थाः

अभिनिर्धारित: मजिस्ट्रेट को अधिनियम की धारा 25(2) के अधीन अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करते समय यह समाधान करना चाहिए कि परिस्थितियों में बदलाव हुआ है, परिवर्तन, उपांतरण या प्रतिसंहरण का आदेश पारित करना आवश्यक है- मजिस्ट्रेट को मामले में तथा उक्त मामले के परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पक्षकारों द्वारा पेश सामग्री पर आधारित परिस्थितियों में बदलाव का न्यायनिर्णयन करना पड़ता है- वर्तमान मामले में, आदेश दिनांक 23-02-2015 अंतिमता प्राप्त कर चुका है- इसलिए, प्रतिसंहरण हेतु इस प्रकार के आवेदन के किये जाने के पहले अवधि के लिए आदेश दिनांक 23-02-2015 को अपास्त नही किया जा सकता है- दूसरा अनुरोध (भरणपोषण के सम्पूर्ण धनराशि को वापस करने के लिए) पूर्णतया पोषणीय नही है क्योंकि परिस्थितियों के बदलाव के कारण अधिनियम की धारा 12 के अधीन पारित आदेश के किसी परिवर्तन, उपांतरण या प्रतिसंहस्ण को केवल कार्योत्तर अर्थात अधिनियम की धारा 12, के अधीन याचिका में किये गये आदेश के अवधि के बाद की अवधि के लिए हो सकता है तथा न कि इसके पहले के अवधि के लिए- इस प्रकार, अधिनियम की धारा 25 की उप-धारा (2) के अधीन दाखिल परिवर्तन, उपांतरण या प्रतिसंहरण हेतु इस प्रकार का आवेदन अन्य बातों के साथ अधिनियम की धारा 12 के अधीन आदेश पारित किये जाने के पहले किसी अवधि से संबद्ध नही हो सकता है- इसलिए, प्रत्यर्थी द्वारा ईप्सित अनुरोध अधिनियम की धारा 25 की उप-धारा (2) के अधीन पोषणीय नही है। (पैरा 13, 17, 18)

घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005- का लागू होनाः

अभिनिर्धारित: अधिनियम सिविल संहिता का एक हिस्सा है जो संविधान के अन्तर्गत प्रत्याभूत इसके अधिकारों के और प्रभावी संरक्षण हेतु तथा घरेलू संबंधों में घटने वाली घरेलू हिंसा की महिला पीड़िता की रक्षा करने के लिए इसके धार्मिक संबन्धन तथा/या सामाजिक पृष्ठभूमि को विचार में लाए बिना भारत में प्रत्येक महिला पर लागू होता है। (पैरा 11)

उद्धृत निर्णय जन्य विधि

अलेक्जेंडर समबाथ अबनेर बनाम मिरन लेडे, 2009 एससीसी आनलाइन मद्रास 2851-निर्दिष्टि ।

अधिनियमों की सूची

घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005; दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898; दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023

प्रमुख शब्दों की सूची

महिला पीड़िता: घरेलू हिंसा; घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 25; घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण की अधिनियम 2005 की धारा 12; परिवर्तन; उपांतरण; प्रतिसंहरण; परिस्थिति में बदलाव; भरण-पोषण के धनराशि को वापस करना।

मामले की उत्पत्ति

दाण्डिक अपीलीय अधिकारिता: दाण्डिक अपील सं0 3989 वर्ष 2024

सीआरएलआरपी सं0 674 वर्ष 2022 में कर्नाटक उच्च न्यायालय बेंगलुरु के निर्णय तथा आदेश दिनांक 06-04-2023 से

अधिवक्तागण

सुश्री सुती चंगवी, शेखर बडिगेर, एन. साई विनोद, अपीलार्थिनी के अधिवक्तागण

सुश्री हर्ष त्रिपाठी, बालाजी श्री निवासन, प्रत्यर्थी के अधिवक्तागण।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

निर्णय

नागरत्ना, न्यायमूर्ति

अनुमति प्रदान की गई।

2. कर्नाटक उच्च न्यायालय बेंगलुरू द्वारा दाण्डिक पुनरीक्षण याचिका सं0 674/2022 में पारित आदेश दिनांक 06-04-2023 से व्यथित, अपीलार्थिनी जो प्रत्यर्थी की पत्नी है इस अपील को अधिमानित किया है।

3. संक्षेप में बताया गया तथ्य यह है कि अपीलार्थिनी-पत्नी ने घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 (एतस्मिन् पश्चात् ''अधिनियम'' के रूप में निर्दिष्ट) की धारा 12 के अधीन याचिका दाखिल किया था। उक्त याचिका अर्थात दाण्डिक प्रकीर्ण सं0 6/2014 को विद्वान मजिस्ट्रेट के आदेश दिनांक 23-02-2015 द्वारा भरण-पोषण के रूप में रु0 12,000 (रुपया बारह हजार मात्र) तथा प्रतिकर हेतु रु0 1,00,000/- (रुपया एक लाख मात्र) तथा प्रतिकर हेतु रु0 1,00,000/- (रुपया एक लाख मात्र) मंजूर करते हुए अनुज्ञात किया गया था। इस प्रक्रम पर उल्लेख किया जा सकता है कि प्रत्यर्थी - पति ने उक्त कार्यवाही में कोई साक्ष्य पेश नही किया था। विद्वान मजिस्ट्रेट के आदेश द्वारा व्यथित, प्रत्यर्थी ने अधिनियम की धारा 29 के अधीन अपील दाखिल किया था जिसे विलम्ब के आधार पर अपीलीय न्यायालय द्वारा खारिज किया गया था। पूर्वोक्त आदेश अंतिमता प्राप्त किया था क्योंकि इसमें प्रत्यर्थी द्वारा इस पर अभ्याक्रमण नही किया गया था।

4. तत्पश्चात, प्रत्यर्थी ने विद्वान मजिस्ट्रेट के समक्ष अधिनियम की धारा 25 के अधीन आवेदन दाखिल किया था। उक्त आवेदन को खारिज किया गया था। व्यथित प्रत्यर्थी ने अपीलीय न्यायालय के समक्ष अधिनियम की धारा 29 के अधीन दाण्डिक अपील सं0

757/2020 दाखिल किया था। उक्त अपील को अनुज्ञात किया गया था तथा मामला विद्वान मजिस्ट्रेट को दोनों पक्षकारों को अपना साक्ष्य पेश करने का अवसर देते हुए अधिनियम की धारा 25 के अन्तर्गत प्रत्यर्थी द्वारा दाखिल आवेदन पर विचार करने एवं विधि के अनुसार इसे निपटाने के निदेश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया था।

5. उक्त आदेश द्वारा व्यथित, इसमें अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय के समक्ष दाण्डिक पुनरीक्षण याचिका सं0 674/2022 दाखिल किया था, जिसे, आक्षेपित आदेश दिनंाक 06-04-2023 द्वारा दाण्डिक अपील सं0 757/2020 को निपटाने समय अपीलीय न्यायालय द्वारा किये गये किसी संप्रेक्षण से प्रभावित हुए बिना विद्वान मजिस्ट्रेट को अधिनियम की धारा 25 के अधीन प्रत्यर्थी द्वारा दाखिल आवेदन पर विचार करने के निदेश के साथ खारिज किया गया था।

पूर्वोक्त आदेशों से व्यथित, अपीलार्थिनी - पत्नी ने यह अपील दाखिल किया है।

6. हमने अपने-अपने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को विस्तापूर्वक सुना।

7. अपीलार्थिनी के विद्वान अधिवक्ता ने अपने निवेदनों के अनुक्रम के दौरान, उक्त धारा की उप-धारा (2) के आलोक में अधिनियम की धारा 25 के अधीन दाखिल आवेदन में प्रत्यर्थी द्वारा ईप्सित अनुरोधों की ओर हमारा ध्यान खींचा है।

इन्होंने निवेदन किया है कि उक्त प्रावधान के अन्तर्गत दाखिल आवेदन अधिनियम के अन्तर्गत किये गये किसी आदेश के परिवर्तन, उपांतरण या प्रतिसंहरण की मांग करने वाले व्यथित व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है तथा ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेगें, विद्वान मजिस्ट्रेट मामले के तथ्यों के उपयुक्त इस प्रकार का आदेश पारित कर सकता है। लेकिन वर्तमान मामले में, प्रत्यर्थी दाण्डिक प्रकीर्ण सं0 6/2014 में पारित आदेश दिनांक 23-02-2015 को अपास्त करने की मांग कर रहा है तथा कपट के आधार पर अपीलार्थिनी को प्रत्यर्थी द्वारा संदत्त भरणपोषण की सम्पूर्ण धनराशि को वापस करने की मांग हेतु अतिरिक्त अनुरोध कर रहा है। अपीलार्थिनी के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि इस प्रकार का अनुरोध पोषणीय नही है। इन्होंने प्रतिवाद किया है कि पूर्वोक्त आवेदन अधिनियम के अन्तर्गत किये गये आदेश के परिवर्तन, उपांतरण या प्रतिसंहरण हेतु नही है; यह वास्तव में दाण्डिक प्रकीर्ण सं0 6/2014 में पारित आदेश दिनांक 23-02-2015 को अपास्त करने के लिए है; यह कि इस प्रकार का आवेदन पूर्णतया पोषणीय नही है।

8. विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया है कि उच्च न्यायालय तथा अपीलीय न्यायालय अधिनियम की धारा 25 की उप-धारा (2) के अधीन इसमें प्रत्यर्थी द्वारा दाखिल आवेदन पर विचार करने के लिए विद्वान मजिस्ट्रेट को मामला प्रतिप्रेषित करने में सही नही है। इसलिए इन्होंने निवेदन किया है कि आक्षेपित आदेशों को अपास्त किया जा सकता है तथा प्रत्यर्थी द्वारा दाखिल आवेदन को खारिज किया जा सकता है एवं परिणामस्वरूप, आदेश दिनांक 04-03-2020, जिसके द्वारा अधिनियम की धारा 25 के अधीन आवेदन को खारिज किया गया था को कायम रखते हुए दाण्डिक प्रकीर्ण सं0 6/2014 में 23-02-2015 को पारित पूर्ववर्ती आदेश को कार्यान्वित किया जा सकता है।

9. समानांतर स्तम्भ में, प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि कारण कि क्यों अधिनियम की धारा 25 के अधीन आवेदन दाखिल किया गया था इस तथ्य के कारण है कि इसे भरणपोषण की आवश्यकता है जबकि वह नियोजित व्यक्ति है तथा भरणपोषण की बिल्कुल आवश्यकता नही है। तथ्य कि इसने कहा था कि वह बेरोजगार है मामले की जड़ तक जाता है तथा इसलिए, भरणपोषण के रूप में रु0 12000/- (रुपया बारह हजार मात्र) प्रतिमाह अधिनिर्णीत करने वाले विद्वान मजिस्ट्रेट के आदेश के अंतिमता प्राप्त करने के बावजूद, अधिनियम की धारा 25 के अधीन आवेदन उक्त आदेश के प्रतिसंहरण की मांग करते हुए दाखिल किया गया था तथा अपीलीय न्यायालय एवं उच्च न्यायालय विद्वान मजिस्ट्रेट को उक्त आवेदन पर विचार करने का निदेश देने में न्यायोचित थे।

10. हमने इस मामले के तथ्यों तथा अधिनियम की धारा 25 के आलोक में रोक पर पेश तर्कों पर विचार किया है। त्वरित संदर्भ हेतु, अधिनियम की धारा 25 को निम्नवत् उद्धृत किया जाता है:

"25. आदेशों की अवधि तथा परिवर्तन

(1) धारा 18 के अधीन किया गया संरक्षण आदेश तब तक प्रवृत्त रहेगा जब तक व्यथित व्यक्ति उन्मोचन हेतु आवेदन नही करता है।

(2) यदि मजिस्ट्रेट, व्यथित व्यक्ति या प्रत्यर्थी से आवेदन प्राप्त करने के पश्चात, समाधान करता है कि इस अधिनियम के अन्तर्गत किये गये किसी आदेश के परिवर्तन, उपांतरण या प्रतिसंहरण के लिए जरूरी परिस्थितियों में बदलाव है, वह ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेगें इस प्रकार का आदेश पारित कर सकता है, जैसा वह उपयुक्त समझता है।"

उपर्युक्त को पढ़ने के पश्चात, यह स्पष्ट है कि व्यथित व्यक्ति या प्रत्यर्थी जैसा अधिनियम के अन्तर्गत परिभाषित है अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत किये गये आदेश के परिवर्तन, उपांतरण या प्रतिसंहरण की मांग कर सकता है यदि अधिनियम की धारा 25 की उप-धारा (2) के अनुसार परिस्थितियों में बदलाव होता है। यह संकेत करता है कि अन्य बातों के साथ, अधिनियम की धारा 12 के अधीन आदेश किये जाने के पश्चात, जैसा वर्तमान मामले में भरण-पोषण के रूप में रु0 12,000/- प्रतिमाह मंजूर किया गया है, यदि परिस्थिति में कोई बदलाव होता है, यह इस प्रकार के आदेश के परिवर्तन, उपांतरण या प्रतिसंहरण की मांग करने का आधार हो सकता है। इस प्रकार की परिस्थितियों को वर्तमान मामले के संदर्भ में सोदाहरण बताया जा सकता है क्योंकि विवाह-विच्छेद पर पत्नी को निर्वाहिका दिया जा रहा है या पत्नी प्रत्यर्थी-पति से अधिक धनराशि कमा रही है तथा इसलिए, भरण-पोषण या इस प्रकार के अन्य परिस्थितियों की जरूरत नही है। परिस्थिति में उक्त बदलाव अधिनियम की धारा 12 के अधीन आरंभिक आदेश किये जाने के पश्चात होना चाहिए तथा अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत आदेश पारित करने के पहले के अवधि से संबंधित नही हो सकता है।

11. अधिनियम सिविल संहिता का एक भाग है जो संविधान के अन्तर्गत प्रत्याभूत अधिकारों के और प्रभावी संरक्षण हेतु तथा घरेलू संबंध में घटित होने वाले घरेलू हिंसा के महिला

पीड़ितों की रक्षा करने के लिए धार्मिक संबन्धन तथा/या सामाजिक पृष्ठभूमि को विचार में लाए बिना भारत में प्रत्येक महिला के संबंध में लागू होता है।

12. अधिनियम की धारा 25(2) उस संभाव्य घटना को अनुध्यात करता है जहाँ अधिनियम के अन्तर्गत पारित आदेश को परिवर्तित, उपांतरित या प्रतिसंहृत किया जा सकता है। अधिनियम की धारा 25(2) उपबंध करता है कि व्यथित व्यक्ति या प्रत्यर्थी, जैसा अधिनियम के अन्तर्गत परिभाषित है, अधिनियम के अन्तर्गत किये गये ''किसी आदेश'' के परिवर्तन, उपांतरण या प्रतिसंहरण के लिए आवेदन दाखिल करते हुए मजिस्ट्रेट के पास जा सकता है। इस प्रकार, अधिनियम की धारा 25(2) की व्याप्ति अधिनियम के अन्तर्गत पारित सभी प्रकृति के आदेशों पर विचार करने के लिए काफी पर्याप्त है, जिसमें भरण-पोषण, आवास, संरक्षण इत्यादि के आदेश शामिल हो सकते है। यदि किन्हीं दो पक्षकारों अर्थात व्यथित व्यक्ति या प्रत्यर्थी द्वारा मजिस्ट्रेट के समक्ष इस प्रकार का कोई आवेदन दाखिल किया जाता है, तब मजिस्ट्रेट, ऐसे आदेशों से जिसे अभिलिखित किया जायेगा, आदेश पारित पर सकता है जैसा वह उचित समझता है। इस प्रकार अधिनियम के अन्तर्गत पारित आदेश उस समय तक प्रवर्तन में रहता है जब तक आदेश को अधिनियम की धारा 29 के अधीन अपील में अपास्त नही किया जाता है या मजिस्ट्रेट द्वारा अधिनियम की धारा 25(2) के अनुसार परिवर्तित/ उपांतरित/ प्रतिसंहृत नही किया जाता है।

13. फिर भी, मजिस्ट्रेट को अधिनियम की धारा 25(2) के अन्तर्गत अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करते समय यह समाधान करना पड़ता है कि परिस्थितियों में बदलाव हुआ है, जिसके लिए परिवर्तन, उपांतरण या प्रतिसंहरण का आदेश पारित करना आवश्यक है। वाक्यांश ''परिस्थितियों में बदलाव'' को अधिनियम के अन्तर्गत परिभाषित नही किया गया है। उक्त वाक्यांश अब निरसित दण्ड प्रक्रिया संहिता 1898 की धारा 489 के अधीन तथा अब निरसित दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (द0प्र0सं0 1973) की धारा 127(1) के अधीन मौजूद था, जैसा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 (भा0ना0सु0सं0 2023) की धारा 146(1) के अन्तर्गत पाया जाता है, लेकिन विधान मण्डल (संसद) ने जानबूझकर निरसित संहिताओं या वर्तमान संहिता में इसके लिए परिभाषा उपलब्ध नहीं कराया है। इस प्रकार, मामले में तथा उक्त मामले के परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पक्षकारों द्वारा पेश सामग्री पर आधारित परिस्थितियों में बदलाव का न्यायनिर्णयन मजिस्ट्रेट को करना पड़ता है। अधिनियम के अन्तर्गत परिस्थितियों में बदलाव आर्थिक प्रकृति का हो सकता है, जैसे प्रत्यर्थी या व्यथित व्यक्ति के आय में बदलाव या यह भत्ता अदा करने वाले या प्राप्त करने वाले पक्षकार के अन्य परिस्थितियों में बदलाव हो सकता है, जो अदा किये जाने के लिए मजिस्ट्रेट द्वारा आदेशित भरण पोषण धनराशि के वृद्धि या कमी या पूर्ववर्ती आदेश के प्रतिसंहरण सहित मजिस्ट्रेट द्वारा मंजूर अनुतोष में किसी अन्य आवश्यक बदलाव को न्यायोचित ठहरायेगा। प्रावधान का अभिव्यक्त करना आजीविका के खर्च, पक्षकारों की आय इत्यादि जैसे कारकों को आच्छादित करने के लिए काफी पर्याप्त है। आगे, परिस्थितियों में बदलाव केवल प्रत्यर्थी का आवश्यक नहीं है बल्कि व्यथित व्यक्ति का भी। उदाहरण के लिए, पति के आर्थिक परिस्थितियों में बदलाव

भरण-पोषण के परिवर्तन हेतु महत्वपूर्ण मानदण्ड हो सकता है बल्कि इसमें पति या पत्नी के जीवन में अन्य परिस्थितिजन्य बदलाव भी शामिल हो सकता है जो उस समय से घटित हुआ है जब पहली बार भरण-पोषण का आदेश दिया गया था।

14. फिर भी, अधिनियम की धारा 25(2) के अवलंब हेतु, अधिनियम के अन्तर्गत आदेश पारित करने के पश्चात परिस्थितियों में बदलाव होना चाहिए। **अलेक्जेडर सामवाथ अबनेर बनाम भाहूरन लेडे 2009 एससीसी आनलाइन मद्रास 2851** भी इसी आशय का है। इस प्रकार, परिवर्तन, उपांतरण या प्रतिसंहरण हेतु आदेश भविष्यलक्षी लागू होता है भूत लक्षी नही। यद्यपि भरण-पोषण देने हेतु आदेश भूतलक्षी प्रभाव से आवेदन की तिथि से या जैसा मजिस्ट्रेट द्वारा आदेशित किया जाता है प्रभावी होता है, भत्ता में परिवर्तन हेतु आवेदन के संबंध में स्थिति भिन्न है; जो प्रसंगवंश बढ़ या घट सकता है- उस तिथि से प्रभावी होता है जिस तिथि को परिवर्तन का आदेश किया जाता है या कोई अन्य तिथि जैसे उस तिथि से जिस तिथि को प्रत्येक मामले के तथ्यों पर भरोसा करते हुए परिवर्तन, उपांतरण या प्रतिसंहरण हेतु आवेदन किया गया था।

15. स्थिति द0प्र0सं0 1973 की धारा 125 तथा 127 के सदृश है, जिसमें द0प्र0सं0 1973 की धारा 125(2) के अन्तर्गत विधान मण्डल ने आवेदन की तिथि से भरण-पोषण देने के लिए मजिस्ट्रेट को शक्ति दिया था, लेकिन द0प्र0सं0 1973 की धारा 127 के अधीन इस प्रकार की कोई शक्ति नही दिया था। इसलिए, अधिनियम के अन्तर्गत, परिवर्तन या उपांतरण या प्रतिसंहरण का आदेश उक्त आवेदन के दाखिल किये जाने की तिथि से लागू हो सकता है या जैसा अधिनियम की धारा 25(2) के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा आदेश दिया जाता है। इस प्रकार, आवेदक इसके भूतलक्षी लागू होने की मांग नही कर सकता है, जिससे मूल आदेश के अनुसार पहले संदत्त धनराशि का वापस करने की मांग की जा सके।

16. इसमें प्रत्यर्थी ने फिर भी अधिनियम की धारा 25 के अधीन दाखिल आवेदन में निम्न अनुरोध किया है, जो निम्नवत् पठित है:

''जिस कारण से, याची आदरपूर्वक अनुरोध करता है कि यह मा0 न्यायालय कृपा करके निम्न आदेशों को पारित करे।

(क) सिविल प्रकीर्ण 6/2014 में पारित आदेश दिनांक 23-02-2015 को अपास्त करने का

(ख) इसके अनुसरण में प्रत्यर्थी को न्यायालय तथा याची के साथ कपट करते हुए इसके द्वारा प्राप्त सम्पूर्ण धनराशि को वापस अदा करने का निदेश देने का

(ग) प्रत्यर्थी को इस मुकदमें के खर्च को अदा करने का निदेश करने का

(घ) इस प्रकार का अन्य अनुतोष या अनुतोषों को मंजूर करे जिसे यह मा0 न्यायालय न्याय के उद्देश्य का प्राप्त करने के लिए मामले के परिस्थितियों में उपयुक्त तथा उचित समझता है।''

वास्तव में प्रत्यर्थी दाण्डिक प्रकीर्ण सं0 6/2014 में पारित आदेश दिनांक 23-02-2015 को अपास्त करने तथा यथापूर्वस्थिति के प्रत्यास्थापन द्वारा उक्त आदेश के अनुसार इसमें अपीलार्थिनी को स्वयं द्वारा संदत्त धनराशि को वापस करने की मांग कर रहा है।

17. अपीलार्थिनी के विद्वान अधिवक्ता ने न्यायानुसार प्रतिवाद किया है कि उक्त आदेश वास्तव में प्रत्यर्थी द्वारा दाखिल अपील में अपीलीय न्यायालय के आदेश के साथ मिल गया है जिसे विलम्ब के आधार पर खारिज किया गया था तथा उक्त आदेश को आगे चुनौती नही दिया गया है। वास्तव में, आदेश दिनांक 23-02-2015 अंतिमता प्राप्त कर चुका है। इसलिए प्रतिसंहरण हेतु इस प्रकार का आवेदन किये जाने के पूर्व अवधि हेतु आदेश दिनांक 23-02-2015 को अपास्त नही किया जा सकता है। जब तक आदेश पारित किये जाने के पश्चात् होने वाले परिवर्तन के कारण पूर्ववर्ती आदेश के परिवर्तन, उपांतरण या प्रतिसंहरण के लिए आवश्यक परिस्थिति में बदलाव नही होता है, आवेदन पोषणीय नही होता है। इस प्रकार, अधिनियम की धारा 25 की उप-धारा (2) के अधीन अधिकारिता का प्रयोग मात्र इसलिए पूर्ववर्ती आदेश को अपास्त करने के लिए नही दिया जा सकता है क्योंकि प्रत्यर्थी उस आदेश को अपास्त करने की मांग करता है विशेष रूप से जब उक्त आदेश अपीलीय आदेश के साथ इसके विलय द्वारा अंतिमता प्राप्त कर चुका है जैसा वर्तमान मामले में है जब तक इसके प्रतिसंहरण हेतु मामला नही बनता है। दूसरा, इसमें प्रत्यर्थी द्वारा ईप्सित अनुरोध भरणपोषण के सम्पूर्ण धनराशि के वापस किये जाने के लिए है जिसे अधिनियम की धारा 25 की उप-धारा (2) के अधीन दाखिल आवेदन तथा दाण्डिक प्रकीर्ण सं0 6/2014 में पारित आदेश दिनांक 23-02-2015 के वास्तव में प्रतिसंहृत किये जाने के पहले संदत्त किया गया था। अधिनियम की धारा 12 के अधीन अन्य बातों के साथ पक्षकार द्वारा ईप्सित आदेश का प्रतिसंहरण इस प्रकार का आदेश पारित किये जाने के पहले अवधि से संबंधित नही हो सकता है। हम पाते हैं कि वर्तमान मामले में दूसरा अनुरोध पूर्णतया पोषणीय नही था क्योंकि जैसा हमने पहले ही संप्रेक्षित किया है कि परिस्थितियों में बदलाव के कारण अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत पारित आदेश का कोई परिवर्तन, उपांतरण या प्रतिसंहरण मात्र कार्योत्तर अवधि अर्थात अधिनियम की धारा 12 के अधीन याचिका में किये गये आदेश के अवधि के बाद के अवधि हेतु हो सकता है तथा इसके पहले के अवधि के लिए नही। इस प्रकार अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (2) के अधीन परिवर्तन, उपांतरण या प्रतिसंहरण हेतु दाखिल इस प्रकार का आवेदन अन्य बातों के साथ अधिनियम की धारा 12 के अधीन पारित आदेश के पहले किसी अवधि से संबंधित नही हो सकता है।

18. इन परिस्थितियों में, हम पाते हैं कि इसमें प्रत्यर्थी द्वारा ईप्सित अनुरोध अधिनियम की धारा 25 की उप-धारा (2) के अधीन पूर्णतया पोषणीय नही है क्योंकि यह 23-02-2015 के पहले के अवधि से संबंधित है जब मूल आदेश पारित किया गया था। वास्तव में प्रत्यर्थी द्वारा ईप्सित अनुरोध पूर्णतया अधिनियम की धारा 25 की उप-धारा (2) के अभिप्राय के पूर्णतया विरुद्ध है। इस प्रकार का अनुरोध करते समय, प्रत्यर्थी वास्तव में दाण्डिक प्रकीर्ण सं0 6/2024 में पारित मूल आदेश दिनांक 23-02-2015 को अपास्त करने तथा भरण-पोषण धनराशि को वापस करने की मांग ईप्सित नही कर सकता था जिसे उक्त आदेश के अनुसरण में अपीलार्थिनी को संदत्त किया गया था। प्रत्यर्थी पूर्वोक्त अनुरोधों को भी ईप्सित नही कर सकता था; पहला, क्योंकि इसने विद्वान मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाहियों में भाग नही लिया था; दूसरा, प्रत्यर्थी ने विलम्ब से अपीलीय न्यायालय के

समक्ष अपील दाखिल किया था जिसे खारिज किया गया था तथा तीसरा जब इस अपील को विलम्ब के आधार पर खारिज किया गया था, इसने उच्चतर फोरम के समक्ष उक्त आदेश पर अभ्याक्रमण नही किया था।

19. इन परिस्थितियों में उच्च न्यायालय तथा प्रथम अपीलीय न्यायालय के आदेशों को अपास्त किया जाता है तथा प्रत्यर्थी द्वारा दाखिल आवेदन को खारिज किया जाता है। फिर भी इसमें प्रत्यर्थी के पास अधिनियम की धारा 25 के अधीन नये सिरे से आवेदन दाखिल करने की स्वतंत्रता सुरक्षित है, यदि ऐसा परामर्श दिया जाता हैं। यदि इस प्रकार का आवेदन प्रत्यर्थी द्वारा दाखिल किया जाता था, उपरोक्त किये गये संपेक्षणों को ध्यान में रखते हुए तथा इसके स्वयं के गुणावगुण पर विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा इस पर विचार किया जायेगा जो वर्तमान मामले में पूर्ववर्ती आदेश दिनांक 23-02-2015 को करने के तिथि के बाद के अवधि से संबंधनीय हो सकता है। आदेश दिनंाक 23-02-2015 का कोई प्रतिसंहरण इसमें प्रत्यर्थी द्वारा दिये जाने वाले आवेदन, यदि कोई है, की तिथि से प्रभावी हो सकता है या जैसा विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा आदेश दिया जाता है।

20. इस अपील को पूर्वोक्त निबंधनों में अनुज्ञात तथा निपटाया जाता है।

लंबित आवेदन (आवेदनों) यदि कोई हो, को निपटाया जायेगा।

मामले का परिणाम: अपील अनुज्ञात

अंकित ज्ञान द्वारा शीर्ष टिप्पणियाँ तैयार की गई।

(यह अनुवाद शिवा कान्त तिवारी पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया)